कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सहारनपुर क्षेत्र।

पत्रांकः 9289 /क्षे0प्र0/स0पुर/संचालन/स्टाफकार/टेण्डर/19, दिनांकः– 13.11.19

टेण्डर–सूचना

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में स्टाफकारो की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से परिवहन निगम मुख्यालय के पत्रांक 5990प्र0नि0/स्टाफकार/का0से0/12, दिनांक 03.02.2012 द्वारा मासिक किराये के आधार पर निजी वाहनों को सम्बद्ध करने का अनुमोदन किया गया है। उक्त अनुमोदन के परिप्रेक्ष में स्टाफकारों की कमी के दृष्टिगत क्षेत्रों/इकाईयों को मासिक किराये के आधार पर निम्न नियम व शर्तो के अन्तर्गत वाहन सम्बद्ध करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

शर्त

- आलोच्य वाहन का उपयोग अधोहस्ताक्षरी के द्वारा किया जायेगा।
- निविदाकर्ता द्वारा टाटासूमो, महिन्द्रा, बोलेरो अथवा इसके समकक्ष वाहन तीन वर्ष के लिये अनुबन्ध की जायेगी।
- अनुबन्ध की जाने वाली वाहन की आयु, अनुबन्ध की अवधि में अधिकतम 3 वर्ष (कमीशन की तिथि से) की होनी चाहिये।
- अनुबन्ध की जाने वाली वाहन टैक्सी परमिट से आच्छादित होनी चाहिए।
- वाहन से मासिक 2000 किलोमीटर संचालित कराया जायेगा तथा अधिकतम रूपये 30000/–किराया, जिसमें ईंधन, चालक का वेतन/भत्ता, वाहन की मरम्मत, बीमा, रोड टैक्स, फिटनेस, परमिट, सर्विस टेक्स एवं अन्य सभी कर निविदाकर्ता द्वारा वहन किये जायेगें/भुगतान किया जायेगा।
- वाहन से किसी प्रकार की दुर्घटना होने तथा वाद उत्पन्न होने पर सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदाकर्ता का होगा।
- वाहन का माइलो मीटर प्रमाणित एवं चालू हालत में होना चाहिए।
- निविदाकर्ता द्वारा लगाये गये वाहन के खराब होने की सूचना प्राप्त होने पर निविदाकर्ता द्वारा दूसरा वाहन सम्बन्धित निगम अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
- निविदाकर्ता द्वारा सम्बद्ध किये गये वाहन के चालक का पूर्ण विवरण, आवासीय पता, मोबाईल फोन नम्बर, चालक का ड्राइविंग की लाइसेंस की प्रमाणित फोटो प्रति सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।
- निविदाकर्ता अथवा चालक को किसी प्रकार का कोई अग्रिम धन देय नहीं होगा।
- वाहन का अनुबन्ध 3 वर्षो हेतु किया जायेगा तथा 3 वर्ष की अवधि पूरी होने पर पुनः अनुबन्ध किया जायेगा।
- किराये पर ली गयी वाहन की लॉग बुक में यात्रा का विवरण अंकित किया जायेगा तथा सत्यापन उपरान्त मासिक आधार पर निविदाकर्ता से बिल प्राप्त कर सम्बन्धित अधिकारी से सत्यापन उपरान्त क्षेत्रीय प्रबन्धक द्वारा परीक्षणोपरान्त बिल की धनराशि का निगम मुख्यालय लखनऊ से भुगतान प्राप्त किया जायेगा। बिल की धनराशि से नियमानुसार आयकर एवं सरचार्ज की कटौती कर काटी गयी धनराशि को आयकर विभाग में जमा करके प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
- 2000 कि0मी0 मासिक से अधिक वाहन यदि संचालित करायी जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी द्वारा संचालन हेतु पूर्ण औचित्य दर्शाते हुए उसका अनुमोदन अपर प्रबन्ध निदेशक महोदय से किया जायेगा तथा तदानुसार भुगतान देय होगा।
- निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाएं संतोषजनक न पाये जाने पर परिवहन निगम द्वारा किसी भी समय अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा।
- मासिक किराये पर लगाये जाने वाली वाहन हेतु टेण्डर प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय प्रबन्धक, कार्यालय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम सहारनपुर में दिनांक 25.11.2019 तक जमा कराये जा सकते है।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
सहारनपुर
13/11

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक(वित्त), उ0प्र0परिवहन निगम, सहारनपुर क्षेत्र।
2. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0परिवहन निगम, सहारनपुर/मु0नगर/छु0पुर/खतौली/गंगोह/शामली डिपो को इस निर्देश के साथ कि वे टेण्डर सूचना को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
3. ऑफर निगम की बेबसाइट पर अंकित करने हेतु email id tender@upsrtc.com के माध्यम से परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ को सादर प्रेषित/नोटिस बोर्ड, कार्यालय क्षेत्रीय प्रबन्धक सहारनपुर।

क्षेत्रीय प्रबन्धक
13/11

Nilami-18

Downloaded from www.upsrtc.com